संख्या जी–2–154 / दस–2013

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 8 अगस्त, 2013

विषयः सामान्य भविष्य निधि लेखे में विलुप्त अंशदानों की समस्या के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का सही ढंग से रख–रखाव सुनिश्चित कराने हेतु शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं। सामान्य भविष्य निधि लेखे में विलुप्त अंशदानों की समस्या के निराकरण के संबंध में कार्यालय महालेखाकार द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि प्रत्येक माह कोषागारों से प्राप्त लेखों में विलुप्त शिड्यूलों की सूची कोषागारों को इस आशय से उपलब्ध कराने की प्रकिया प्रारम्भ की जा रही है ताकि कोषागारों के माध्यम से संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों से वॉछित शिड्यूलों की प्राप्ति की जा सके।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीन समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को प्रतिमाह अपने वेतन बिलों से संबंधित सामान्य भविष्य निधि शिड्यूलों की एक अतिरिक्त प्रति सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि कोषागार अथवा महालेखाकार कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उक्त शिड्यूल आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल उपलब्ध कराये जा सकें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव

संख्या जी–2– 154 (1) / दस–2013,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)– कार्यालय महालेखाकार, प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2)– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3)– शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव।
(4)– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(5)– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0के0 सिंह)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 38 सा0 वित्त–12.09.2013–(820)–1500 प्रतियां (आफसेट)।